बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक–03/परि0 (योजना)–14–14/2018

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा0प्र0से0
सचिव,
परिवहन विभाग,बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक–

विषय– "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" के अन्तर्गत भुगतान होने वाले अनुदान से संबंधित दिशा निर्देश के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" के समयबद्ध क्रियान्वयन की कार्रवाई संबंधित कार्यालयों के द्वारा की जा रही है। प्रथम चरण के चयनित लाभुकों को दिनांक–14.12.2018 के पश्चात अनुदान का वितरण किया जाना है। अनुमंडल स्तरीय समिति के द्वारा चयनित लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। इसके लिए स्वीकृति पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन लाभुकों के द्वारा इस स्वीकृति पत्र के साथ दाखिल किया जायगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित अन्य कागजात संलग्न किये जायेंगे :–

1. चयनित वाहन का कोटेशन।
2. जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति।
3. बैंक खाते से संबंधित सूचना (खाताधारी का नाम, खाता सं0, बैंक शाखा का IFSC कोड)
4. यदि वाहन ऋण लेकर खरीदा गया है तो वित्त पोषण करने वाली संस्था का सहमति पत्र।
5. यदि वाहन की खरीद किसी वित्त पोषण संस्था से ऋण लेकर की गई है तो लाभुक इस आशय का एक स्वाघोषणा पत्र भी देंगे कि अनुदान की राशि का उपयोग वाहन के ऋण भुगतान में ही किया जाएगा।

स्वघोषणा पत्र का प्रारूप इस पत्र के साथ प्रेषित किया जा रहा है।

आवेदन प्राप्ति के पश्चात प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सभी संलग्न कागजातों की जांच की जायगी एवं सभी कागजात सही पाये जाने पर इसकी सूचना लाभुक को पत्र के माध्यम से दी जायगी। इन योग्य लाभुको को अनुदान की राशि भुगतान करने के पूर्व इनसे वाहन के विक्रय पत्र, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन के निबंधन पुस्त से संबंधित कागजातों की मांग की जायगी। इस आधार पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि की गणना की जाएगी। अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50 प्रतिशत की राशि परन्तु अधिकतम 1.00 लाख रू0 होगी। वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है, वाहन का एक्स–शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन कर, तीनों को जोड़कर कुल राशि। अधिसूचना में दिये गये निर्देश के अनुसार अनुदान का भुगतान RTGS के माध्यम से लाभुक के खाते में किया जाएगा। यदि वाहन का क्रय किसी वित्त पोषक संस्था से ऋण लेकर किया गया है तो अनुदान की राशि उसी खाते में अंतरित की जायेगी जिस खाते में वित्त पोषक संस्था द्वारा ऋण की राशि अंतरित की गई हो। लाभुक को अनुदान की राशि के भुगतान की सूचना डीलर एवं वित्त पोषण करने वाली संस्था को अनिवार्य रूप से दी जाएगी।

अनुरोध है कि अनुदान की राशि के भुगतान के संबंध में उपरोक्त वर्णित तथ्यों का पूर्ण रूप से पालन करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय ताकि इस संबंध में एकरूपता, पारदर्शिता एवं विधिसम्मतता बनी रहे।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— 7921 पटना, दिनांक— 13/12/18

प्रतिलिपि : सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहार/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक–03 / परि0 (योजना)–14–14 / 20'8 7921

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा0प्र0से0
सचिव,
परिवहन विभाग,बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक– 13/12/18

विषय– "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" के अन्तर्गत भुगतान होने वाले अनुदान से संबंधित दिशा निर्देश के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" के समयबद्ध क्रियान्वयन की कार्रवाई संबंधित कार्यालयों के द्वारा की जा रही है। प्रथम चरण के चयनित लाभुकों को दिनांक–14.12.2018 के पश्चात अनुदान का वितरण किया जाना है। अनुमंडल स्तरीय समिति के द्वारा चयनित लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। इसके लिए स्वीकृति पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन लाभुकों के द्वारा इस स्वीकृति पत्र के साथ दाखिल किया जायगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित अन्य कागजात संलग्न किये जायेंगे :–

1. चयनित वाहन का कोटेशन।
2. जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति।
3. बैंक खाते से संबंधित सूचना (खाताधारी का नाम, खाता सं0, बैंक शाखा का IFSC कोड)
4. यदि वाहन ऋण लेकर खरीदा गया है तो वित्त पोषण करने वाली संस्था का सहमति पत्र।
5. यदि वाहन की खरीद किसी वित्त पोषण संस्था से ऋण लेकर की गई है तो लाभुक इस आशय का एक स्वाघोषणा पत्र भी देंगे कि अनुदान की राशि का उपयोग वाहन के ऋण भुगतान में ही किया जाएगा।

स्वघोषणा पत्र का प्रारूप इस पत्र के साथ प्रेषित किया जा रहा है।

आवेदन प्राप्ति के पश्चात प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सभी संलग्न कागजातों की जांच की जायगी एवं सभी कागजात सही पाये जाने पर इसकी सूचना लाभुक को पत्र के माध्यम से दी जायगी। इन योग्य लाभुको को अनुदान की राशि भुगतान करने के पूर्व इनसे वाहन के विक्रय पत्र, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन के निबंधन पुस्त से संबंधित कागजातों की मांग की जायगी। इस आधार पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि की गणना की जाएगी। अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50 प्रतिशत की राशि परन्तु अधिकतम 1.00 लाख रू0 होगी। वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है, वाहन का एक्स–शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन कर, तीनों को जोड़कर कुल राशि। अधिसूचना में दिये गये निर्देश के अनुसार अनुदान का भुगतान RTGS के माध्यम से लाभुक के खाते में किया जाएगा। यदि वाहन का क्रय किसी वित्त पोषक संस्था से ऋण लेकर किया गया है तो अनुदान की राशि उसी खाते में अंतरित की जायेगी जिस खाते में वित्त पोषक संस्था द्वारा ऋण की राशि अंतरित की गई हो। लाभुक को अनुदान की राशि के भुगतान की सूचना डीलर एवं वित्त पोषण करने वाली संस्था को अनिवार्य रूप से दी जाएगी।

अनुरोध है कि अनुदान की राशि के भुगतान के संबंध में उपरोक्त वर्णित तथ्यों का पूर्ण रूप से पालन करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय ताकि इस संबंध में एकरूपता, पारदर्शिता एवं विधिसम्मतता बनी रहे।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 13/12
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

स्वघोषणा पत्र का प्रारूप

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/पति .... ग्राम .... पंचायत .... अनुमंडल .... जिला .... शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अन्तर्गत मुझे प्राप्त अनुदान की राशि का प्रयोग ऋण प्रदान करने वाली संस्था (..) के ऋण भुगतान हेतु किया जाएगा।

(   )

शपथकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

बिहार सरकार

परिवहन विभाग, बिहार

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना

स्वीकृति पत्र

जिला ....

श्री .... पिता– .... ग्राम– ....

पंचायत– .... प्रखंड– .... कोटि– ....

का चयन मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अन्तर्गत योग्य वाहन की खरीद पर अनुदान प्राप्त करने हेतु किया गया है, जिससे संबंधित शर्तें एवं अनुदेश नीचे अंकित है। इन के चयन की स्वीकृति अनुमण्डल पदाधिकारी .... के पत्रांक– .... दिनांक– .... द्वारा संसूचित है।

मोहर [redacted]

शर्तें एवं अनुदेश

1. इस योजना के तहत 4 से 10 सीट के नए सवारी वाहन को योग्य माना जाएगा।
2. अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 1.00 लाख रू0 है। वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है –वाहन का एक्स शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स, तीनों को जोड़ कर कुल राशि।
3. यदि वाहन की खरीद किसी वित्तीय संस्थान से ऋण ले कर किया गया है तो अनुदान की राशि का उपयोग आवेदक द्वारा ऋण के भुगतान में ही किया जाएगा।
4. 05 वर्ष तक वाहन को बिना अनुमंडल पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति के नहीं बेचा जाएगा।
5. वाहन पारिवारिक उत्त्राधिकार के तहत हस्तांतरित हो सकेगा।
6. लाभुक को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए एवं उसके पास पूर्व से कोई व्यवसायिक वाहन नहीं होना चाहिए।
7. अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन इस चयन पत्र के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में दाखिल किया जाएगा। आवेदन के साथ निम्न कागजात संलग्न किये जायेंगे :–

(क) चयनित वाहन का विवरण, कोटेशन एवं विक्रय पत्र।

(ख) आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चालक अनुज्ञप्ति की छायाप्रति, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र की छायाप्रति एव वाहन के बीमा से संबंधित कागजात।

(ग) बैंक खाते का विवरण जो ऋण खाते से सम्बंधित हो।

(घ) स्वघोषणा पत्र कि अनुदान की राशि का उपयोग वित्त पोषण करने वाली संस्था के ऋण को चुकाने में किया जायगा यदि वाहन का क्रय ऋण ले कर किया गया हो।

"मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना"
अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्रारूप

सेवा में,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,

....

मैं..................................पिता / पति....................................पंचायत......................ग्राम.........
............................प्रखंड...................जिला...................का / की निवासी हूँ। "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" के तहत स्वीकृति पत्र सं0..............दिनांक–.......................
...के माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि मेरा चयन इस योजना के लाभुक के रूप में हुआ है। अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु मैं आवेदन दाखिल कर रहा / रही हूँ। आवेदन के साथ मैं निम्न कागजात अनुलग्नक के रूप में संलग्न कर रहा / रही हूँ :–

1. चयनित वाहन का प्रकार, बैठान क्षमता एवं कोटेशन।
2. जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
3. आवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
4. ~~आधार कार्ड की छायाप्रति।~~
5. बैंक खाता सं0, बैंक एवं शाखा का नाम एवं IFSC कोड।
6. (यदि वाहन का क्रय किसी वित्त पोषक संस्था से ऋण लेकर किया गया है)–

वित्त पोषण संस्था का सहमति पत्र एवं इस आशय का स्वघोषणा पत्र कि अनुदान की राशि का उपयोग ऋण के भुगतान में किया जायगा।

मेरे द्वारा उपर्युक्त दी गई सूचना एवं संलग्न किए गए कागजात पूर्णतः सही एवं वैध है तथा मैं योजना के सभी शर्तो का पालन करूँगा।

अनुरोध है कि अनुदान की राशि मेरे उपरोक्त बैंक खाते में अंतरित करने हेतु आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

(आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर)